न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 75/2023
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2023/70

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. दीपाराम पुत्र नेमाजी, जाति मेघवंशी (भांबी) निवासी बंसत तहसील सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुमेरपुर 2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली राजस्थान 3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसंत, तहसील सुमेरपुर 4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08/02/2023 तथा एफ 12(3)(16) राजस्व/23/1247 दिनांक 04/04/2023

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट।
2. श्रीमती प्रांजल, तहसीलदार, सुमेरपुर (पैरोकार सरकार), रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 29 मई, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट दीपाराम पुत्र नेमाजी जाति मेघवंशी (भांबी) ने न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08/02/2023 से व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली द्वारा उपरोक्त अनवान में व[illegible] दिनांक 08.02.2023 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.04.2023 द्वारा ग्राम बसंत [illegible] के वर्तमान खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से [illegible] राजस्थान भू–राजस्व [illegible] कॉलेजो, चिकित्सालय, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्मा[illegible]नाधिवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

राजकीय कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963, जिसे आगे अपील में आवंटन नियम 1963 से संबोधित किया जाएगा, के नियम 2 (ग) के तहत् रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के खेल मैदान हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को निःशुल्क आवंटन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम बसंत तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 820 जिसके गत खसरा नम्बर 440 थे, जिसमें से 20 बीघा भूमि सेटलमेन्ट पूर्व अपीलाण्ट ने पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांक 18.05.1971 को खरीद की थी, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में तत्समय अमलदरामद हो गया था। तत्पश्चात् भूमि सेटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 820 का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होने पर छोगा, पुकिया पिसरान पुनमा 451/1352 एवं दीपा पुत्र नेमा हिस्सा 901/1352 कौम मेघवंशी दर्ज किया गया, जो पश्चात्वर्ती जमाबंदी संवत् 2044 से 2044, संवत् 2048 से 2051, संवत् 2052 से 2055 तक यथावत दर्ज रहे। उपरोक्त जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में वर्णित अनुसार सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर बाली द्वारा पारित बंटवाड़ा निर्णय व डिक्री द्वारा बंटवाड़ा किया गया और खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर भूमि म्यूटेशन संख्या 193 द्वारा अपीलाण्ट दीपा के नाम दर्ज की गई, शेष खसरा नम्बर 820/1, 820/2 व 820/3 अन्य खातेदारो के नाम दर्ज की गई। खसरा नम्बर 820 का कुल रकबा 8.01 हैक्टेयर था। जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 में अपीलाण्ट के नाम खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर भूमि बतौर खातेदार दर्ज है।

अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि एक गलत व झूठी शिकायत के आधार पर धारा 175 की कार्यवाही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा शेषिया, देविया व जेठा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में पेश की, क्योंकि तत्समय तहसील सुमेरपुर का उपखण्ड कार्यालय बाली था, वर्तमान में उपखण्ड कार्यालय सुमेरपुर है। उपरोक्त प्रकरण के दौरान अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.07.1983 को उपरोक्त न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलाण्ट को पक्षकार बना दिया गया, लेकिन उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम बतौर अप्रार्थी/प्रतिवादी दर्ज नहीं किया गया। उक्त न्यायालय द्वारा धारा 175 की कार्यवाही को वाद में परिणित किये जाने के बाद भी बिना कोई साक्ष्य के तथाकथित मौका रिपोर्ट के आधार पर नये खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर भूमि पर मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2000 द्वारा जेठा पुत्र जसाजी सुथार का कब्जा होना बताते हुए उपरोक्त प्रकरण को स्वीकार कर भूमि को सिवाय चक करने का आदेश दिनांक 04.10.2000 प्रकरण संख्या 869/1983 में पारित कर दिया। उपरोक्त निर्णय की पालना में म्यूटेशन संख्या 224 दिनांक 09.11.2000 द्वारा उपरोक्त भूमि को सिवाय चक दर्ज कर दी, जो वर्तमान में भी यथावत सिवाय चक दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट दीपा द्वारा प्रथम अपील संख्या 85/2000 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की, जो बाद सुनवाई दिनांक 04.05.2001 को निर्णित करते हुए अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 को निरस्त कर दिया, साथ ही तहसीलदार महोदय सुमेरपुर को रिपोर्ट दिनांक 15.09.2000 के अनुसार मौके पर जाकर जांच कर रिपोर्ट सही पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में नये सिरे से कार्यवाही प्रस्तुत करने बाबत् निर्देश दिया। यहां यह उल्लेख करना उचित रहेगा कि उपरोक्त राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में किये जाने अथवा किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का निर्णय पारित किये जाने की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई कार्यवाही की जाती तो अपीलाण्ट को नामित अवश्य किया जाता और अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता। अपीलाण्ट द्वारा की गई जानकारी से भी यह स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा उक्त निर्देशो की पालना में आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय उपरोक्त खसरा नम्बर 820 बाबत् पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी, बाली के न्यायालय द्वारा पारित जिस निर्णय दिनांक 04.10.2000 द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर भूमि को सिवाय चक करने का निर्णय पारित किया था, उस निर्णय को प्रथम अपील न्यायालय में दिनांक 04.05.2001 को पूर्णरूप से निरस्त कर दिया, जो प्रभाव में नहीं रहा है और उसकी द्वितीय अपील भी अपीलार्थी की जानकारी के अनुसार भूमिधारी द्वारा कभी भी नहीं की गई और राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2001 अंतिम हो चुका है। इस प्रकार से उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया था और वो निर्णय अंतिम हो चुका था, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 820 सिवाय चक नहीं रही है और माफिक निर्णय दिनांक 04.05.2001 की अनुपालना में उपरोक्त भूमि को पुनः अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना था, लेकिन भूमिधारी और राजस्व विभाग की घोर लापरवाही के फलस्वरूप भूमि आज दिनांक तक सिवाय चक दर्ज चली आ रही है और उसी के कारण सिवाय चक मानकर जैर अपील आदेश द्वारा उपरोक्त भूमि के रकबा में से 1.78 हैक्टेयर भूमि को खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है, जो बिल्कुल ही अवैध है, क्योंकि उपरोक्त भूमि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 04.05.2001 के आज सिवाय चक नहीं रही है, बल्कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, केवल राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त निर्णय की अनुपालना नहीं होने से भूमि सिवाय चक नहीं मानी जा सकती है और सिवाय चक मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व तथ्यों की भारी भूल की है, इस कारण से अपील स्वीकार योग्य है।

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट ने अनेकानेक बार भूमिधारी को आवेदन पेश कर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2000 को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप पुनः उपरोक्त भूमि को अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने बाबत् निवेदन किया, लेकिन भूमिधारी द्वारा अपीलाण्ट की कोई सुनवाई नहीं की गई. अपीलाण्ट गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अनूसुचीत जाति अथवा अनूसुचित जन जाति की भूमि धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सिवाय चक की जाती तो केवल एससी अथवा एसटी व्यक्ति को ही आंवटित होगी। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण डी.बी. अपील संख्या 179 / 2008 अनवान राधेश्याम बनाम बोर्ड ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 12–03–2008 प्रस्तुत किया गया।

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट ने दिनांक 16.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में भी धारा 144 सीपीसी के तहत् निर्णय की पालना में उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया, जिस पर भी किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। तत्पश्चात् अपीलाण्ट ने उपरोक्त राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय की पालना किये जाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र धारा 144,151 सीपीसी के तहत् राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में प्रार्थी दीपा बनाम अप्रार्थी सरकार के रूप में विविध मुकदमा संख्या 2 / 2023 पेश किया, जो दिनांक 05.01.2023 को दर्ज किया गया, जो वर्तमान में लम्बित है। न्यायालय में प्रकरण लम्बित होते हुए और उसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जानबूझकर भूमि को विवादरहित बताकर, किसी प्रकार का कोई विवाद लम्बित नहीं होना व मुकदमा लम्बित नहीं होना बताकर आवंटन हेतु अनुशंषा कर दी, जिसके आधार पर उपरोक्त भूमि गलत रूप से आ[illegible] भी अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि चूंकि मूल आदेश दिनांक 08.02.2023 को पारित किया गया, लेकिन उसमें ग्राम बसंत के खसरा नम्बर 580 दर्ज

संभागीय आयुक्त,
पाली

है, जो अपीलाण्ट से संबंधित नहीं है और अपीलाण्ट से संबंधित संशोधित आदेश दिनांक 04.04.2023 को पारित किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 580 के स्थान पर खसरा नम्बर 820 पढ़े जाने बाबत् आदेश पारित किया गया, इसलिए अपीलाण्ट के हक, हकुक, अधिकार आदेश दिनांक 04.04.2023 से प्रभावित हो रहे है, जिससे उपरोक्त प्रथम अपील अंदर अवधि 60 दिन है, लेकिन तकनीक में नहीं जाकर मूल आदेश दिनांक 08.02.2023 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 06.04.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ वाले उपरोक्त भूमि पर मौका देखने आये, तब अपीलाण्ट ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त भूमि में से 1.78 हैक्टेयर भूमि स्कूल को खेल मैदान के लिए आवंटित की गई है, जिसका मौका देखने के लिए आये है, तब अपीलाण्ट ने उक्त प्रधानाध्यापकजी को स्पष्ट बताया कि उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है और जानबूझकर अपीलाण्ट के नाम दर्ज नहीं करने के कारण अपीलाण्ट ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर रखी है, इसलिए अपीलाण्ट नाप–चौक नहीं करने देगा, तब वे लोग चले गये, एवं इस बाबत् अपीलाण्ट ने पाली आकर अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी करवाई, तब उपरोक्त आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 10.04.2023 को नकलो हेतु आवेदन किया और उपरोक्त प्रमाणित प्रति दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त होने पर उक्त अपील पेश की गई, इसलिए सर्वप्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश कमांक एफ–12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08.02.2023 जिसके द्वारा जिला कलेक्टर पाली द्वारा ग्राम बंसत तह सुमेरपुर के खसरा नं. 580 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से 1.78 हैक्टेयर भूमि संशोधित आदेश कमांक एफ–12(3) (16) राजस्व/2023 /1247 दिनांक 04.04.2023 जिसके द्वारा ग्राम बसंत के खसरा संख्या 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर में से 1.78 हैक्टेयर भूमि रेस्पो संख्या 3 के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन आदेश को निरस्त फरमायें।

5. पैरोकार सरकार तहसीलदार, सुमेरपुर ने बहस के द्वौरान कथन किया कि धारा 175 के प्रावधानों के अनुसार भूमि का हस्तान्तरण स्वर्ण जाति के पक्ष में होना जरूरी नहीं है। यदि बिना बेचान/हस्तानान्तरण के अनुसूचित व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा सहमति से पाया जाता है तो वह धारा 42 वी एवं 46–ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से वर्णित भूमि के संबंध में धारा 175 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। प्रार्थीगणों द्वारा दिनांक 18.05.1971 के बेचान लिखत जिसमें प्रार्थीगण दिपा भांबी एवं शेषा वगैरा ने यह जाहिर किया है कि रूपये जेठाजी पुत्र हंसाजी सुथार, साकिन बसंत से कर्ज लिऐ है जो भूमि बेचान के बदले चुकाये है। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार सुमेरपुर की रिपोर्ट 19.09.2000 में भी बताया गया है कि विवादस्पद पुर्व ख.न. 440 रकबा 20 बीघा के नहीं खसरा नंबर 820 रकबा 3.20 हेक्टर जो कि राजस्व रेकर्ड में दीपा पुत्र नेमा कौम मेघवाल नि. बसंत के नाम है। पर लम्बे समय से जेठा पुत्र जसाजी, कौम सुथार नि. बंसत का कब्जा है। जो कि आज दिनांक तक इस भूमि पर काबिज है। अतः उक्त भूमि पर की गई कार्यवाही धारा 175 के तहत की गई कार्यवाही पुर्णतः विधि सम्मत है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय पाली के आदेश दिनांक 04.05.2001 के निर्णय के विरूद्ध अपील पुनः सक्षम न्यायालय में पेश की जा रही है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने बहस का प्रतिउत्तर कर अभिकथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है तथा सरकारी पैरोकार द्वारा जिन व्यक्तियों का कब्जे के संबंध में कथन किया [illegible] कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। [illegible] कृषि भूमि में जेठा पुत्र जसाजी, कौम सुथार नि. बंसत के विरुद्ध [illegible]र, सुमेरपुर द्वारा 91 की कार्यवाही की गई। अनूसुचीत जाति के व्यक्ति की भूमि क[illegible]ॉन अनूसुचीत जाति के व्यक्ति को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

निलामी में भी नही दी जा सकती है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2012 पेज नंबर 764, आर आर टी 2018–19 पेजन नंबर 348, डी.एन.जे. 2019(3) पेज नंबर 1043, डी.एन.जे. 2016(3) पेज नंबर 1149, आर आर टी 2010(2) पेज नंबर 738 प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश को आपस्त किया जावे।

7. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा उनके आदेश क्रमांक एफ12(3)(16)राजस्व/2023/447 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा ग्राम बसन्त तहसील सुमेरपुर के खसरा नंबर 580 रकबा 3.20 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से 1.78 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसन्त के खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग को आवंटन किया गया। उक्त आदेश में संशोधित आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली उनके पत्रांक एफ12(3)(16)राजस्व/23/1247 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा खसरा नंबर 580 के स्थान पर 820 संशोधित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि तहसीलदार, सुमेरपुर ने प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली के राजस्व वाद प्रकरण संख्या 869/1983 उनवान राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार सुमेरपुर बनाम सेसीया वगैरह में निर्णय दिनांक 04.10.2000 के द्वारा मौजा बसंत के गत खसरा नंबर 440 से बने हाल खसरा नंबर 820 रकबा 3.20 हैक्टर भूमि सिवाय चक दर्ज कर कब्जा सरकार लेने का आदेश पारित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली अपील संख्या 85/2000 अनवान दीपा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली निर्णय दिनांक 04.05.2001 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का ओदश दिनांक 04.10.2000 अपास्त किया गया तथा तहसीलदार, सुमेरपुर को उक्त निर्णय में निर्देश प्रदान किये गये कि नायब तहसीलदार, सुमेरपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2000 के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य जेठा वल्द जसा सुथार का कब्जा होने के संबंध में स्वयं मौके की जांच कर उक्त रिपोर्ट सही पाये जाने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में नये सिरे से कार्यवाही प्रस्तुत की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 04.05.2001 की पालना में नायब तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा मौका रिपोर्ट नही बनाई गई। इस संबंध में वर्तमान तहसीलदार, सुमेरपुर ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 04.05.2001 की पालना अनुसार अग्रिम कार्यवाही अब की जाएगी।

चूंकि यह अपील जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08/02/2023 तथा एफ 12(3)(16) राजस्व/23/1247 दिनांक 04/04/2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है, [illegible] न्यायालय के समक्ष विचारणीय निर्णय एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/02/2023 तथा दिनांक 04/04/2023 के विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व का निर्णय जो की राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 04.05.2001 को पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested

संभागीय आयुक्त,
पाली

किया गया है, न्यायालय हाजा के समक्ष चैलेन्ज नही किया गया है और न ही उक्त आदेश दिनांक 04.05.2001 में कोई कार्यवाही इस स्तर से अपेक्षित है उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2001 के विषय में अग्रिम कार्यवाही अपीलाण्ट को स्वयं करनी चाहिए तथा तहसीलदार को भी उक्त निर्णय में प्रदान निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही स्वयं करनी चाहिए। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/02/2023 तथा दिनांक 04/04/2023 विचारणीय है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर एवं तहसीलदार, सुमेरपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। आवंटन के समय वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बसन्त तहसील, समेरपुर के खसरा नंबर 820 रकबा 3.20 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से 1.78 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963 के नियम 2(ग) के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,बसन्त के खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क आवंटन किया किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आवंटन आदेश 08/02/2023 तथा दिनांक 04/04/2023 में हम कोई त्रुटि होना नही पाते है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तथा वक्त आंवटन प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला कलेक्टर का आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08/02/2023 तथा एफ 12(3)(16) राजस्व/23/1247 दिनांक 04/04/2023 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर पाली का आदेश क्रमांक एफ 12(3)(16) राजस्व/2023/447 दिनांक 08/02/2023 तथा एफ 12(3)(16) राजस्व/23/1247 दिनांक 04/04/2023 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड वापिस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29 मई, 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Pratibha Singh
Date: 2024.05.29 18:20:07 IST
Reason: SelfAttested